सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

22 श्रावण, 1940 (श०)

संख्या- 786 राँची, सोमवार 13 अगस्त, 2018 (ई०)

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

17 जुलाई, 2018

संख्या 6/पी० (विविध) 29/18 -895 /स्वा०, -- भारत सरकार से प्राप्त दिशा - निदेश के आलोक में झारखण्ड राज्य में मलेरिया बीमारी की भयावहता को ध्यान में रखते हुए राज्य में मलेरिया को अधिसूचित बीमारी घोषित किया जाना है ।

झारखण्ड राज्य में मलेरिया का प्रकोप है/यह आशंका है कि झारखण्ड में मलेरिया महामारी के विरूद्ध किये जा रहे कार्य और वर्तमान में लागू कानून के सामान्य प्रावधान इस बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए अपर्याप्त है, अब महामारी, अधिनियम 1897 (अधिनियम iii, 1897) की धारा 2, उप-धारा 1 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मलेरिया के प्रसार और इसके विस्फोट को नियंत्रित करने हेतु संबंधित क्षेत्र के लिए झारखण्ड-राज्यपाल निम्नलिखित अस्थायी नियमावली बनाते हैं-

1. यह नियमावली, झारखण्ड मलेरिया प्रसार नियंत्रण नियमावली कहा जा सकेगा ।
2. यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा ।
3. इस नियमावली में, जब तक कोई बात, विषय या सन्दर्भ के विरूद्ध न हो, तो-

(क) मलेरिया से अभिप्रेत उस बीमारी से है, जिसमें रोगी को कंपकपी (ठंड लगकर) के साथ तेज बुखार आता है, उल्टी व जी मिचलाता है, कमजोरी महसूस होता है, खुन की कमी होती है,

आँख में पीलापन आ जाता है तथा पसीना देकर बुखार उतर जाता है । पुनः 24/36/48 घंटे के बाद बुखार आ जाता है ।

(ख) सिविल सर्जन से अभिप्रेत है, जिला के असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी ।

(ग) "आवासीय स्थान" से अभिप्रेत किसी भी पक्का/कच्चा मकान झोपड़ी, शेड या वैसे निर्माण जहाँ रोगी निवास करता है ।

(घ) स्वास्थ्य कर्मचारियों से अभिप्रेत राज्य सरकार के चिकित्सा पदाधिकारियों, सहायक मलेरिया पदाधिकारियों, मलेरिया निरीक्षक तथा शहरी एवं देहाती क्षेत्रों में पदस्थापित पारा मेडिकल कर्मचारियों तथा सफाई निरीक्षक से है, जो उपबन्ध (क) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में कार्यरत होंगे ।

(ड) प्रभावित क्षेत्र से तात्पर्य झारखण्ड राज्य की भौगोलिक सीमा से है ।

(च) स्थानीय चिकित्सा पदाधिकारियों से तात्पर्य अस्पतालों, औषधालयों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पदस्थापित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों से है ।

(छ) दण्डाधिकारी से अभिप्रेत जिला दण्डाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत अन्य कार्यपालक दण्डाधिकारी से है ।

(ज) चिकित्सक से अभिप्रेत वैध, हकीम, होमयोपैथी चिकित्सक तथा निबंधित चिकित्सक ।

(झ) आरक्षी कर्मी से अभिप्रेत आरक्षी अवर निरीक्षक तथा आरक्षी से है ।

4. प्रभावी क्षेत्र में जहाँ मलेरिया का कोई रोगी हो/रोगी के होने की आशंका हो, प्रत्येक गृहस्वामी घर पर रहने वाले, चौकीदार, ग्राम पंचायत सदस्य तथा चिकित्सक जो मलेरिया के रोगी का उपचार कर रहे हों, रोगी की सूचना मिलने के 24 घंटे के अन्दर इस आशय की सूचना स्थानीय चिकित्सक और चिकित्सा कर्मी को देंगें ।

5. असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ या असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा प्राधिकृत कोई स्वास्थ्य कर्मी प्रभावित क्षेत्र के किसी भी ऐसे घर में प्रवेश कर सकेंगें जिसमें किसी व्यक्ति को मलेरिया की बीमारी हुई हो/होने की आशंका हो, स्वास्थ्य कर्मी मलेरिया की जाँच, मलेरिया की पहचान, उपचार तथा कीटनाशी छिड़काव के उद्देश्य से ही संबंधित घर में प्रवेश करेंगें ।

6. प्रभावित क्षेत्र के जिस घर में किसी व्यक्ति को मलेरिया हुआ हो या होने की आशंका हो उसके गृहस्वामी या घर में रहने वाला व्यक्ति की वैधानिक दायित्व होगा कि सिविल सर्जन या स्थानीय चिकित्सा पदाधिकारी, पारा मेडिकल स्टाफ या सिविल सर्जन के द्वारा प्राधिकृत कोई स्वास्थ्य कर्मी मलेरिया नियंत्रण के लिए जो निदेश दे उसका अनुपालन करे । इस संबंध में स्वास्थ्य कर्मी निम्नांकित निदेश दे सकेंगें-

(I) प्रभावित घर में कीटनाशी का छिड़काव ।

(II) सफाई संबंधित की जाने वाली अन्य कार्रवाई ।

(III) मलेरिया के रोगी/संभावित रोगी की जाँच एवं उपचार ।

7. प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का यह दायित्व होगा कि मलेरिया के उपचार के लिए सिविल सर्जन के द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य चिकित्सा पदाधिकारी या स्वास्थ्य कर्मी के बुलाने पर अविलंब अपने को प्रस्तुत करेंगें। उपचार निःशुल्क होगा ।

प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले संबंधित व्यक्ति 14 वर्ष से कम उम्र का बालक/बालिका हो तो वैसे स्थिति में इस नियमावली के अधीन दिये गये किसी आदेश के अनुपालन या उपचार करने के लिए बच्चे के प्रस्तुत करने का दायित्व माता-पिता या अभिभावक का होगा ।

8. प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले कोई व्यक्ति अगर मलेरिया का रोगी हो तो अपने क्षेत्र से बाहर जाने के समय बिहार एवं उड़ीसा चिकित्सा अधिनियम 1916 के अधीन चिकित्सक या स्वास्थ्य कर्मी द्वारा निर्गत चिकित्सा पत्र अपने साथ अवश्य ले जायेगा और स्थानीय स्वास्थ्य कर्मी के समक्ष इसे प्रस्तुत करेगा ताकि उस रोगी की चिकित्सा जारी रहे और स्थानीय स्वास्थ्य कर्मी अन्य आवश्यक कार्रवाई कर सके ।

अगर संबंधित व्यक्ति 14 वर्ष से कम उम्र का बालक/बालिका हो तो वैसे स्थिति में उक्त दायित्वय का निर्वहन उसके माता-पिता या अभिभावक या जिसके नियंत्रण में हो, द्वारा किया जायेगा ।

9. इस अधिसूचना का यह भी उद्देश्य है कि यदि किसी सरकारी/गैर सरकारी/स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा संचालित अस्पतालों में मलेरिया के संभावित लक्षण वाले मरीज आते हैं तो मरीजों से संबंधित पूर्ण सूचना संबंधित जिले के सिविल सर्जन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें ताकि मलेरिया को फैलने से रोक कर जनसमुदाय को प्रभावित होने से बचाया जा सके ।

10. इस नियमावली का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता धारा 188 के अधीन दण्डनीय होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

निधि खरे,
सरकार के प्रधान सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 786 -- 50